न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—33/2019

1. श्यामसुदंर उम्र—8 वर्ष पुत्र राजपाल जाति कम्बोज नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता हिमानी उर्फ पायल पत्नी राजपाल जाति कम्बोज निवासी चक 6केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

—— **प्रार्थी**

बनाम्

1. इन्द्रराम उम्र—75 वर्ष ईशरराम जाति कम्बोज निवासी चक—6केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
2. कशमीरचंद पुत्र इन्द्रराम जाति कम्बोज निवासी चक 6केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
3. गुरदर्शन पुत्र इन्द्रराम जाति कम्बोज निवासी चक 6केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
4. सरोज पुत्री इन्द्रराम जाति कम्बोज निवासी चक 6केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)
5. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

——**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील—

1. श्री पवन अरोड़ा एडवोकेट — प्रार्थी की ओर से
2. श्री शैलेन्द्र कामरा एडवोकेट — अप्रार्थीगण सं.—1ता4 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक 22.02.21**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 केएएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—95 पत्थर सं.—141/5 का किला नं.—11,17ता24 प्रत्येक सालम, किला नं—25 में 0.253 हैक्टर मय खाला कुल 2.505 हैक्टर कमाण्ड रकबा व चक 5 केएएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—39 पत्थर सं.—121/61 में 1.771 हैक्टर, मुरब्बा नं.—40 पत्थर सं.—121/62 में 5.313 हैक्टर, मुरब्बा नं.—41 पत्थर सं.—121/54 में 0.986 हैक्टर, मुरब्बा नं.—47 पत्थर सं.—121/63 में 6.199 हैक्टर कुल 14.269 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर रकबा अप्रार्थी सं.—1 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है। प्रार्थी के दादा यानि अप्रार्थी सं.—1 द्वारा पूर्व में पंजाब में स्थित पैतृक कृषि भूमि को बेच कर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खरीद की है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि भी पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हित निहित है। अप्रार्थी सं.—1 इन्द्रराम जो कि 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा अक्सर बीमार रहता है। अप्रार्थी सं.—2 कश्मीरचंद जो कि काफी तेजतर्रार व होशियार किस्म का व्यक्ति है, ने अप्रार्थी सं.1 को अपने कब्जा में कर रखा है तथा अप्रार्थी सं.—1 के नाम की समस्त कृषि भूमि को अपने नाम से करवाने की फिराक में है। जिसके संबंध में अप्रार्थी सं.—2 द्वारा लगातार प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी जा रही है कि अप्रार्थी सं.—1 कब्जा में है तथा अब मैं अप्रार्थी सं.—1 से उसकी सारी कृषि भूमि अपने नाम करवा लूंगा और सारी जमीन का मालिक बनूंगा। वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि पैतृक सम्पति है तथा प्रार्थी का जन्म से हित निहित है तथा वादग्रस्त भूमि में से निहित हिस्सा पर प्रार्थी अपने परिवार सहित काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा उक्त कृषि भूमि ही प्रार्थी का एक मात्र आय का जरिया है तथा उक्त कृषि भूमि की आय से ही प्रार्थी अपना व अपने परिवार का भरण—पोषण कर रहा है। लेकिन अप्रार्थी सं.—2 अब बेईमानी पूर्वक आशय से अप्रार्थी सं.—1 इन्द्रराम को अपने प्रभाव में लेकर भूमि अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:24 IST
Reason: SelfAttested

नाम से करवाने की फिराक मे है अप्रार्थी सं.–2 ने अप्रार्थी सं.–3व4 को भी अपने अनुचित प्रभाव मे ले रखा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं.–3 वा 4 से भी सम्पर्क किया गया लेकिन अप्रार्थी सं.–3व4 ने भी प्रार्थी का सहयोग करने से इंकार कर दिया। अप्रार्थी सं.–2 ने अप्रार्थी सं–1 जो कि वृद्धावस्था होने के कारण अक्सर बीमार रहता है, को अपने कब्जा मे कर रखा है तथा अप्रार्थी सं.–2 अप्रार्थी सं.–1 इसी बात का फायदा उठाते हुये अप्रार्थी सं.–1 के नाम की समस्त कृषि भूमि अपने नाम से करवाने की फिराक में है तथा अप्रार्थी सं.–3व4 भी अप्रार्थी सं.–2 के साथ मिली हुई है। इसलिए यदि अप्रार्थीगण अपने आशय में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन मुद्रा में नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कामरा ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य है उक्त प्रश्नगत भूमि मन अप्रार्थी की स्वयं अर्जित व खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का कोई सरोकार व वास्ता मन अप्रार्थी के जीवनकाल में नही है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत किया है। उक्त प्रश्नगत भूमि मन अप्रार्थी को अपने पिता अथवा प्रार्थी के दादा की पंजाब स्थित किसी भी पैतृक सम्पति को बेचान करके प्रश्नगत भूमि खरीद नही की है बल्कि चक 6 के एएम का मुरब्बा नं.–141/6 के कुल 11 बीघा कृषि भूमि पूर्व में नन्दकिशोर, विजयकुमार पिसरान विलायतीराम आदि के नाम से खातेदारी दर्ज थी जो मन अप्रार्थी द्वारा नन्दकिशोर आदि से पूर्ण प्रतिफल के बदले जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 30.08.95 को खरीद की गई थी और पंजीकृत बैयनामा के आधार पर ही मन अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा इसी प्रकार चक 5 के ए एम खाल का मुरब्बा नं.–39 पत्थर सं.121/1.771 हैक्टर, मुरब्बा नं.–40 पत्थर सं.–121/62 के 5.313 हैक्टर व मुरब्बा नं.–41 पत्थर सं.–121/54 के 0.986 हैक्टर व मुरब्बा नं.–47 पत्थर सं.–121/63 का 6.199 हैक्टर कुल 14.269 मे गुरमेलसिंह पुत्र विचित्र सिंह का अपने भाईयों के साथ7.134 हैक्टर ,भूमि थी जिसमें से 1.012 हैक्टर भूमि मन अप्रार्थी द्वारा गुरमेलसिंह से पूर्ण प्रतिफल के बदले जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 03.01.2012 को खरीद की गई थी और पंजीकृत बैयनामा के आधार पर ही मान अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इस प्रकार उक्त प्रश्नगत भूमि मन अप्रार्थी द्वारा अपनी मेहनत खून पसीने की निजी आय की एकत्रित की गई राशि से अपनी आजिविका के लिए खरीद की गई थी जो किसी भी प्रकार से प्रार्थी की पैतृक सम्पति नही है और ना ही मन अप्रार्थी द्वारा पैतृक सम्पति को बेच कर खरीद की गई है प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में नही बनता है बल्कि उक्त प्रश्नगत भूमि मन अप्रार्थी की स्वयं अर्जित व खातेदारी कृषि भूमि है। बैयनामाजात की प्रतियाँ संलग्न है। अप्रार्थी किसी भी तरह से बीमार नहीं है और ना ही अप्रार्थी सं–2 ने अप्रार्थी सं. –1 को किसी प्रकार से अपने कब्जा में कर रखा है प्रार्थी ने झुठे एवं मिथ्या अंकित किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक [illegible] का अप्रार्थी सं.–1 हर प्रकार से विधिक अधिकारी है लेकिन प्रार्थी की मा[illegible] मन [illegible]र्थी व उसके परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार से तंग परेशान [illegible] प्रार्थी ने अपनी माता व पिता राजपाल के साथ मिलकर यह प्रार्थना पत्र झुठे एवं मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुए पेश किया है चूंकि प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से संयुक्त परि[illegible] की अविभाजित सम्पति नहीं है। और ना ही मन अप्रार्थी के जीवनकाल मे प्रार्थी का कोई हित व हिस्सा बनता है और ना ही मन अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थी किसी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है ना ही प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर कोई कब्जा है बल्कि समस्त भूमि पर मन अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने राजपाल को जानबुझकर पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। चूंकि प्रश्नगत भूमि मन अप्रार्थी की स्वयं अर्जित व खातेदारी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:24 IST
Reason: SelfAttested

है जो खरीद के रोज से निरन्तर मन अप्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है तथा वर्तमान में उक्त समस्त कृषि भूमि मन अप्रार्थी के कब्जा काश्त में हैं जिससे मन अप्रार्थी अपने व अपने परिवार जीवनयापन करता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार से किसी भी भू भाग पर कब्जा नही है और ना ही प्रार्थी मन अप्रार्थी के जीवनकाल वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा बनता है और ना ही प्रार्थी का कोई हित निहित है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकसस्टेण्डी नही है।प्रार्थी का उक्त भूमि के किसी भी भू भाग पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता चूंकि अप्रार्थी सं.–1 वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है जिसका उपयोग उपभोग करने का अप्रार्थी सं.–1 हर प्रकार से विधिक अधिकारी है ऐसी स्थिति में खातेदार कृषक के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मन अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है तथा मन अप्रार्थी के जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार व हिस्सा नही बनता। इसलिए प्रार्थी मन अप्रार्थी के जीवनकाल मे उसकी खातेदारी कृषि भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी के पिता राजपाल व उसकी माता हिमानी उर्फ पायल जो मन अप्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु है जो काफी अरसा से ही मन अप्रार्थी व परिवार से अलग रहते है तथा दोनों मन अप्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे कहने सुनने में नही थे। इसलिए मन अप्रार्थी ने राजपाल व उसकी पत्नी हिमानी उर्फ पायल को वर्ष 2013 में ही अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया था जिस संबंध में मन अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14.12.13 को इनकी सूचना दैनिक अखवार के माध्यम से भी हर आम व खास को दे दी थी जिसके कारण प्रार्थी के माता पिता मन अप्रार्थी के साथ और ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगे व मेरे साथ अक्सर मारपीट व गाली गलौच करते तथा मन अप्रार्थी का जान से मारने की धमकीयां देने लगे जिस पर मन अप्रार्थी द्वारा थाना पुलिसथाना अनूपगढ़ मे लिखित मे प्रार्थना पत्र भी दिया था इस प्रकार प्रार्थी के माता पिता मन अप्रार्थी की उक्त स्वयं अर्जित व खातेदारी कृषि भूमि को हथियाने के लिए प्रयासरत है तथा इसी उदेश्य से ही प्रार्थी ने अपनी माता व पिता राजपाल के साथ मिलकर यह प्रार्थना पत्र झुठे एवं मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुए पेश किया है जबकि प्रार्थी मन अप्रार्थी के जीवनकाल में उक्त प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावें। खर्चा जवाबदेही दिलाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 6 केएएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–95 पत्थर सं.–141/5 का किला नं.–11,17ता24 प्रत्येक सालम, किला नं–25 में 0.253 हैक्टर मय खाला कुल 2.505 हैक्टर कमाण्ड रकबा व चक 5 केएएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–39 पत्थर सं.7121/61 में 1.771 हैक्टर, मुरब्बा नं.–40 पत्थर सं.–121/62 में 5.313 हैक्टर, मुरब्बा नं.–41 पत्थर सं.–121/54 में 0.986 हैक्टर, मुरब्बा नं.–47 पत्थर सं.–121/63 में 6.199 हैक्टर कुल 14.269 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर रकबा अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी की प्रति स[illegible] अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पूर्व में पंजाब में स्थित पैतृक कृषि भूमि को बेच कर उक्त [illegible] भूमि खरीद की है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि भी पैतृक कृषि भूमि भी पैतृक सम्पत्ति के कारण प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हित निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:24 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वि[illegible]त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य है उक्त प्रश्नगत भूमि मन अप्रार्थी की स्वयं अर्जित व खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का कोई सरोकार व वास्ता मन अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में नही है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी द्वारा नन्दकिशोर आदि से पूर्ण

प्रतिफल के बदले जरिये पजीकृत बैयनामा दिनांक 30.08.95 को खरीद की गई थी और पजीकृत बैयनामा के आधार पर ही मन अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण: प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि चक 6 केएएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–95 पत्थर सं.–141/5 का किला नं. –11.17ता24 प्रत्येक सालम, किला नं–25 में 0.253 हैक्टर मय खाला कुल 2.505 हैक्टर कमाण्ड रकबा व चक 5 केएएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–39 पत्थर सं.–121/61 में 1.771 हैक्टर, मुरब्बा नं.–40 पत्थर सं.–121/62 में 5.313 हैक्टर, मुरब्बा नं.–41 पत्थर सं. –121/54 में 0.986 हैक्टर, मुरब्बा नं.–47 पत्थर सं.–121/63 में 6.199 हैक्टर कुल 14.269 हैक्टर में से 1.012 हैक्टर रकबा अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के दादा यानि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा पूर्व में पंजाब में स्थित पैतृक कृषि भूमि को बेच कर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खरीद की है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि भी पैतृक कृषि भूमि भी पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हित निहित है। लेकिन प्रार्थी के द्वारा पैतृक सम्पति के संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया। जबकि अप्रार्थी सं.–1 द्वारा उन बैयनामों की प्रतियाँ पेश की गई है जिनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को खरीदा गया है। प्रथमदृष्ट्या अप्रार्थी सं.–1 की स्वयं अर्जित सम्पति होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

2. सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वयं अर्जित खातेदारी कृषि भूमि है अप्रार्थी संख्या 01 एवं उसके पुत्र राजपाल के जीवनकाल में प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त कृषि भूमि में जब कोई अधिकार ही सृजन नहीं हो रहे है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है न की प्रार्थी के पक्ष में।

3. अपूर्णीय क्षति:– जहॉ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वयं अर्जित खातेदारी कृषि भूमि है अप्रार्थी संख्या 01 के जीवनकाल में प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त कृषि भूमि में जब कोई अधिकार ही सृजन नहीं हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है राज. काश्त. अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 01 उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक होनें के कारण उक्त कृषि भूमि पूर्णरूप से उपभोग एवं उपयोग करने की अधिकारिता रखता है। ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 01 उक्त कृषि भूमि के उपभोग एवं उपयोग नहीं कर सकेगा। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 के अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

Signature Not Verified

::आदेश::

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:24 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है, इस आधार पर प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **22.02.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़